



नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २५] काठमाडौं, भदौ ३१ गते २०३२ साल [प्रतिरिक्ताङ्क २६

श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको

सूचना

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ दफा २ को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा २ को प्रयोजनको लागि निम्न मालवस्तु तोकिदिएको छ ।

- | | |
|--|-----------------------|
| १. मैदा | २. नून |
| ३. पाउरोटी | ४. चिनी र मिश्री |
| ५. चुरोट, बिडी, सलाई | ६. चिया |
| ७. पाउडर, मिल्क, बेबीफूड, हर्लिक्स र त्यस्तै पदार्थहरू | ८. साबुनहरू |
| ९. सूती धागो | १०. सबै प्रकारको कपडा |
| ११. होजियरी सामान | १२. चूरा, धागो, पोते |
| १३. मटिटनेल, डिजेल, पेट्रोल | १४. लुब्रिकेण्ट |
| १५. कोइला | १६. चिरान लकडी |
| १७. जुत्ताहरू | १८. छाता |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

२६३